छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
::मंत्रालय::
महानदी भवन, नया रायपुर

क्र./पंचा./पंग्राविवि/22/2015/37 नया रायपुर, दिनांक 28/04/2015

प्रति,

1. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   जिला पंचायत छत्तीसगढ़
2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   जनपद पंचायत छत्तीसगढ़

विषय :- शिक्षक (पंचायत) संवर्ग (शिक्षाकर्मियों) को कमोन्नति वेतनमान स्वीकृत करने बाबत्।

--00--

पंचायत शिक्षाकर्मी (भर्ती तथा सेवा की शर्ते) नियम, 1997 प्रभावशील रहा है। इस भर्ती नियम के तहत् जिला पंचायतों द्वारा शिक्षाकर्मी वर्ग 01 एवं वर्ग 02 तथा जनपद पंचायतों द्वारा शिक्षाकर्मी वर्ग 03 की नियुक्ति का प्रावधान रहा है।

2- विभागीय आदेश कमांक/पंचा./पंग्राविवि/22/2011/1094, दिनांक 02.11.2011 द्वारा शिक्षक (पंचायत) संवर्ग (शिक्षाकर्मियों) को कमोन्नति वेतनमान स्वीकृत किया गया, जो दिनांक 01.11.2011 से प्रभावशील हुआ।

3- विभाग आदेश कमांक/पंचा./पंग्राविवि/22/2012/3597, दिनांक 01.05.2012 को शिक्षक (पंचायत) संवर्ग के कर्मचारियों को समयमान वेतनमान दिये जाने की स्वीकृती प्रदान की गई, जो दिनांक01.04.2012 से देय है।

4- विभाग के आदेश कमांक एफ 6-36/पंग्राविवि/22-2/ 2013, दिनांक 17.05.2013 द्वारा शिक्षक (पंचायत) संवर्ग के कर्मचारियों को शासकीय शिक्षकों के समतुल्य वेतनमान दिनांक 01.05.2013 से स्वीकृत किया गया है।

5- विभाग के आदेश कमांक/पंचा.-411/पंग्राविवि/22/2014, दिनांक 14.11.2014 द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित शालाओं में 'कार्यरत् शिक्षाकर्मियों की कमोन्नति वेतनमान के संबंध में आदेश जारी किया गया

है। इस आदेश के तहत् राज्य शासन द्वारा विभाग के आदेश कमांक/पंचा./पंग्राविवि/22/2011/1094, दिनांक 02.11.2011 को दिनांक 01.05.2013 से भूतलक्षी प्रभाव से निरस्त किया गया। अर्थात् दिनांक 01.11.2011 का कमोन्नति आदेश दिनांक 30.04.2013 तक प्रभावशील रहा है।

उपरोक्त दर्शित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए इन कर्मचारियों को नियमों के तहत् कमोन्नति वेतनमान में देय स्वत्वों की प्रात्रता होगी।

28/04/2015

(शिखा राजपूत तिवारी)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ. क्र./पंग्राविवि/22/2015/38 नया रायपुर, दिनांक 28/04/2015
प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक/निज सहायक, माननीय मंत्रीजी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, छ.ग. शासन की ओर सूचनार्थ।

---

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ।
4. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ।
5. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. संचालक, पंचायत संचालनालय, छत्तीसगढ़ नया रायपुर की ओर सूचनार्थ।
7. समस्त कलेक्टर, छ.ग. को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. समस्त उपसंचालक, पंचायत, जिला कार्यालय, छ.ग. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

28/04/2015

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग